न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 35/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/45

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्रीमती सिद्धि जैन पत्नी श्री संजीवन दोसी निवासी वार्ड नं. 08 पुलिस चौकी के सामने बडोदिया, तह. बागीदौरा बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– केवल ज्ञान मार्केटिंग पुलिस चौकी के सामने बडोदिया तह. बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज) फोन नं. 992941103
2. श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह (नोमिनी) मैसर्स– **Bal Gopal Dairy Product, F-280 Ranpur RICCO Industrial Area, Kuber Industrial Area Ext. Industrial Area, Ranpur Kota Mob No 9928311188**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 18–10–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **11–03–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **11–03–2023** को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स– केवल ज्ञान मार्केटिंग पुलिस चौकी के सामने बडोदिया तह. बागीदौरा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्रीमती सिद्धि जैन पत्नी श्री संजीवन दोसी** उपस्थित थे। [illegible] की उपस्थिति में **मैसर्स केवल ज्ञान मार्केटिंग पुलिस चौकी के सामने बडोदिया तह. बागीदौरा** का निरीक्षण [illegible] पर दुकान में **घी (गुडवेल शक्ति भोग) एक रेक में 500 एम.एल. के 40 पैकेट कुल 9 किलो ग्राम विक्रय हेतु रखे थे। उक्त घी (गुडवेल शक्ति भोग)** एफ.एस.एस.ए. के तहत देखने पर मानक

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:04 IST
Reason: Self Attested

स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **घी (गुडवेल शक्ति भोग) के 500 एम.एल के 4 पैकेट कुल 2 किग्रा.** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1080/— रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **घी (गुडवेल शक्ति भोग) के 500 एम.एल के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1335** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/231 दिनांक 04—04—2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 282 दिनांक 22—03—2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (गुडवेल शक्ति भोग)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1335** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। श्रीमती सिद्धि जैन पत्नी संजीवन दोसी ने नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested

फर्म के मालिक **श्रीमती सिद्धि जैन पत्नी श्री संजीवन दोसी** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **घी (गुडवेल शक्ति भोग)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये [illegible] लिखा , जिस पर विक्रेता ने **घी (गुडवेल शक्ति भोग)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स– Bal Gopal Dairy Product,**

F-280 Ranpur RICCO Industrial Area, Kuber Industrial Area Ext. Industrial Area, Ranpur Kota का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **घी (गुडवेल शक्ति भोग)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–03–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27–08–2024 को अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कर राहत दिलाने निवेदन किया।

दिनांक 14.10.2024 को अप्रार्थी सं. 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कर राहत दिलाने निवेदन किया। अप्रार्थीगणो को सुना गया। अप्रार्थी सं. 2 ने निवेदन किया कि निर्माण इकाई में वर्तमान में **घी (गुडवेल शक्ति भोग)** का उत्पादन बंद है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण विभाग जयपुर के केन्द्रीय दल ने मेरी निर्माण इकाई का निरीक्षण लगभग 4 माह पूर्व किया था, जिसमें जांच दल द्वारा मौके पर तैयार घी को अग्रीम आदेशो तक सीज किया है।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2023/231 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 282 दिनांक 22–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (गुडवेल शक्ति भोग)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1335** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दौराने सुनवाई स्वयं जाहिर किया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण विभाग जयपुर के केन्द्रीय दल ने मेरी निर्माण इकाई का निरीक्षण लगभग 4 माह पूर्व किया था, जिसमें जांच दल द्वारा मौके पर तैयार घी को अग्रीम आदेशो तक सीज किया है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि गुणवत्ताहिन खाद्य पदार्थ का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested

किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **घी (गुडवेल शक्ति भोग)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्रीमती सिद्धि जैन पत्नी श्री संजीवन दोसी निवासी वार्ड नं. 08 पुलिस चौकी के सामने बडोदिया, तह. बागीदौरा बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– केवल ज्ञान मार्केटिंग पुलिस चौकी के सामने बडोदिया तह. बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज) को रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र), श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह (नोमिनी) मैसर्स– Bal Gopal Dairy Product, F-280 Ranpur RICCO Industrial Area, Kuber Industrial Area Ext. Industrial Area, Ranpur Kota को रूपये 1,30,000/– (अक्षरे एक लाख तीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested